कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0,
236/174/4 त्रिवेणी गैस गोडाउन रोड न्यू मेंहदौरी, तेलियरगंज प्रयागराज
(पूर्व नाम – उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)
पंजीकृत कार्यालय – टी0सी0 46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

1- Corporate Identity No.- U81320UP1976SGC004297 2- Telephone No. 0522 2305878 3- Fax No.- 0522 2305877

पत्रांक 241 / अधि0 अभि0 /प्रयागराज/ / 2022-23 दिनांक 30 जून, 2022

सेवा मे,

एम.एम. एडवरटाइजिंग,
नियर शुभम सिनेमा,
लखनऊ।

विषय:- **जनपद प्रयागराज के ग्राम- मलाक चौधरी, तहसील-सोरांव, परगना- मिर्जापुर चौहारी में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर 12 नग वृक्षों के सूचना पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला प्रयागराज में दिनांक 02.07.2022 विज्ञापन प्रकाशन हेतु।**

महोदय,

जनपद प्रयागराज के ग्राम- मलाक चौधरी, तहसील-सोरांव, परगना- मिर्जापुर चौहारी में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के प्रस्तावित निर्माण स्थल 12 नग वृक्ष जहां है जैसे हैं (09 नग महुआ, 03 नग आम) जिनका पातन नही हुआ है की नीलामी हेतु दिनांक 08.07.2022 को अपरान्ह 3.00 बजे कार्य स्थल पर नीलामी होना निश्चित हुई है। प्रत्येक नीलामी बोलने वाले को 10000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशाषी अभियन्ता यू.पी.स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, प्रयागराज के पक्ष में देय होगा नीलामी के पूर्व जमा करना होगा तदोपरान्त ही बोली लगाने के पात्र होगें। अधोहस्ताक्षरी (समिति) को बिना किसी कारण बताये नीलामी निरस्त /स्वीकार करने का अधिकार होगा। सर्वाधिक नीलामी बोली वाले को छोडकर शेष नीलामी बोलने वालो का बैंक ड्राफट उसी दिन वापस कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय में श्री आर.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता से मो. 9454455947 पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं निगम की वेबसाइट (http://www.upscidco.org) पर भी देखी जा सकती है।

भवदीय

(आर.सी.यादव)
अधिशाषी अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य अभियन्ता (पूर्व) यू.पी.सिडको, लखनऊ।
2- उपजिलाधिकारी, सोरांव प्रयागराज।
3- प्र0अधीक्षण अभियन्ता यू.पी.सिडको, प्रयागराज।
4- सहायक आयुक्त, (खाद्य), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5- क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष सोरांव को सूचनार्थ एवं नीलामी में सहयोग आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(आर.सी.यादव)
अधिशाषी अभियन्ता

नीलामी सूचना

जनपद प्रयागराज के ग्राम- मलाक चौधरी, तहसील-सोरांव, परगना- मिर्जापुर चौहारी में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के प्रस्तावित निर्माण स्थल 12 नग वृक्ष जहां है जैसे हैं (09 नग महुआ, 03 नग आम) जिनका पातन नही हुआ है की नीलामी हेतु दिनांक 08.07.2022 को पूर्वाहन 3.00 बजे कार्य स्थल पर नीलामी होना निश्चित हुई है। प्रत्येक नीलामी बोलने वाले को 10000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो अधिशाषी अभियन्ता यू.पी.स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, प्रयागराज के पक्ष में देय होगा नीलामी के पूर्व जमा करना होगा तदोपरान्त ही बोली लगाने के पात्र होगें। अधोहस्ताक्षरी (समिति) को बिना किसी कारण बताये नीलामी निरस्त /स्वीकार करने का अधिकार होगा। सर्वाधिक नीलामी बोली वाले को छोडकर शेष नीलामी बोलने वालो का बैंक ड्राफ्ट उसी दिन वापस कर दिया जायेगा। विस्तृत विवरण हेतु कार्यालय में श्री आर.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता, मो. 9454455947 यू.पी.स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 236/174/4 त्रिवेणी गैस गोडाउन रोड न्यू मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज पर सम्पर्क किया जा सकता है एवं निगम की वेबसाइट (http://www.upscidco.org) पर भी देखी जा सकती है। बोली की नियम व शर्तें निम्नवत् है :–

1. नीलामी की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व बोली लगाने वाले बोली दाताओं को रू0 10000.00 (एक लाख मात्र) सिक्योरिटी जमानत की धनराशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट उपरोक्तानुसार जमा करना अनिवार्य होगा तभी उनकी बोली स्वीकार की जायेगी।
2. उच्चतम बोली बोलने वाले की बोली समिति के द्वारा स्वीकार की जायेगी।
3. प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगाई गयी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी बदलाव पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थिति है लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लेगा।
5. जहॉ जैसे है (as is where is) की शर्त पर विकय किया जायेगा। न्यूनतम बोली/कीमत को पूर्व में घोषित कर दिया जायेगा।
6. परिसर में नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी बिना कारण बताये नीलामी को रोकने के लिए अधिकृत होगा।
7. बोली के अन्तिम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल-चेक द्वारा जमा करना होगा। इस हेतु बैंक ड्राफ्ट या हुंडी स्वीकार नहीं होंगे तथा अर्नेस्ट मनी जमा न करने की दशा में बोली तत्काल निरस्त कर दी जायेगी तथा अगले उच्चतम बोली लगाने वाले की बोली स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है या पुनः नीलामी की जा सकेगी। अग्रिम धन जमा करने में असफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध समिति को विधिसम्मत कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

कमशः 2/–

8. बोली लगाने वाला व्यक्ति यदि बोली के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा–185 के अन्तर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात् शेष धनराशि को निगम में सात दिनों के भीतर जमा किया जायेगा।
10. यदि सफल बोली लगाने वाला निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके पक्ष में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा 25 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी की अग्रिम धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
11. पूर्ण भुगतान के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी की गयी वस्तु बोली लगाने वाले को उपलब्ध करायी जायेगी।
12. सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में वस्तु को परिसर से सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त ही उठाया जा सकेगा।
13. भुगतान हो जाने के 15 दिनों के अन्दर माल उठाना आवश्यक होगा अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा माल स्टोर करने एवं इसकी अभिरक्षा हेतु एक प्रतिशत बोली की धनराशि प्रतिदिन की दर से (विक्रय मूल्य पर) अतिरिक्त प्रभार निर्धारित किया जा सकता है।
14. यदि शासन या सक्षम अधिकारी स्वीकृत बोली को अनुमोदित नहीं करते हैं तो बोली लगाने वाले के द्वारा जमा की गयी अर्नेस्ट मनी लौटा दी जायेगी तथा उसके पक्ष में किया गया नीलाम शून्य (नल एण्ड बायड) हो जायेगा।
15. जी0एस0टी0 अथवा अन्य किसी कर की देयता जो विधि के अधीन बकाया हो क्रेता की होगी।
16. विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विभागाध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा पंचाट किया जायेगा जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।
17. बोली में भाग लेने की अनुमति दिये जाने के पूर्व बोली के प्रतिभागियों से यह लिखित रूप से प्राप्त किया जायेगा कि वे इन नियमों में निर्धारित शर्तों एवं निबन्धनों को यथावत् स्वीकार करते हैं।
18. प्रत्येक बोली दाता को अपना पैन/जी0एस0टी0 नम्बर की छायाप्रति अवश्य जमा करना होगा एवं नीलामी की सामग्री उठाने से पूर्व उसका सत्यापन कराना होगा।
19. उच्चतम बोलीदाता को जी0एस0टी0 एवं अन्य कर नियमानुसार देय होगा।

20- जनपद प्रयागराज के ग्राम- मलाक चौधरी, तहसील-सोरांव, परगना- मिर्जापुर चौहारी में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर खड़े 12 नग वृक्षो के नीलामी (9 नग महुआ एवं 03 नग आम) से पूर्व किसी भी कार्य दिवस देखा जा सकता है एवं उसके सम्बन्ध में किसी भी जानकारी के लिए निर्माण कार्य के सहायक अभियन्ता श्री आर.के. श्रीवास्तव के मो.नं. 9454455947 पर सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

21- नीलामी प्राप्त कर्ता को वृक्षों के पातन के साथ-साथ उनकी जड़ो को भी निकाल कर ले जाना होगा।

(अधिशाषी अभियन्ता)
यूपीसिडको, प्रयागराज